

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(07) राज/वाद/24 पार्ट

जयपुर दिनांक: 10/10/2025

1. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।

::परिपत्र::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा डी.बी.रिट विविध प्रार्थना पत्र संख्या 127/2025 M/S Sterling and Wilson Private Limited v/s U.O.I में दिनांक 25.09.25 को नाराजगी जाहिर करते हुए निम्न आदेश प्रदान किये गये हैं:-

" 7. It is clarified that appearance on behalf of the State by a counsel not from the Additional Advocate General office neither sought for adjournment nor pass over. The private counsel appearing on behalf of the State in the contested litigation is the issue which needs to be addressed.

8. Let the Principal Secretary, Law Department, Government of Rajasthan remain present in the Court on the next date."

पूर्व में भी विभागीय परिपत्र दिनांक 16.11.2022 एवं 20.01.2023 जारी कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की ओर से प्रकरणों में प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपेक्षा की गई थी।

अतः इस विभाग के परिपत्र दिनांक 16.11.2022 एवं 20.01.2023 की निरन्तरता में समस्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण/गवर्नमेंट काउंसिलर्स से पुनः अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरणों की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से पैरवी/प्रतिनिधित्व किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उक्त निर्देशों की कठोरतापूर्वक पालना सुनिश्चित की जावे।

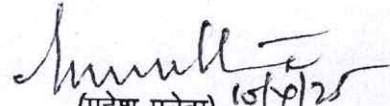
हो

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष।
3. रक्षित पत्रावली।


(महेश पुनेठा) 10/10/25

विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)